न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्या 10/2022, जिला दौसा

आम जनता ग्राम आलूदा खुर्द तहसील नांगल राजावतान जिला दौसा राज0 जरिए :–

1. प्रभातीलाल पुत्र मंगलाराम जाति मीना
2. कैलाशचन्द पुत्र श्रवण जाति मीना
3. कन्हैयालाल पुत्र मंगलाराम जाति मीना
4. गोपीराम पुत्र कन्हैयालाल जाति मीना
5. जौहरीलाल पुत्र छाजूलाल जाति मीना
6. चौथमल पुत्र रामसहाय जाति मीना
7. रामेश्वर पुत्र रामसहाय जाति मीना
8. राधामोहन पुत्र श्री कल्याणसहाय
9. रामलाल पुत्र कल्याणसहाय
10. पप्पूराम पुत्र कल्याणसहाय
11. सुरेशचन्द पुत्र घासी जाति मीना

समस्त जाति मीना निवासी ग्राम आलूदा खुद्र तहसील नांगल राजावतान जिला दौसा, राज0

–अपीलांट्स

बनाम

1. राजस्थान राज्य सरकार जरिये जिला कलेक्टर दौसा जिला दौसा राज0।
2. तहसीलदार जी महोदय तहसील नांगल राजावतान।
3. ग्राम पंचायत आलूदा खुर्द तह0 नांगल राजावतान जरिए सरपंच
4. सचिव ग्राम पंचायत आलूदा खुर्द तह0 नांगल राजावतान।

–रेस्पोंडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 75 एल.आर. एक्ट विरूद्ध निर्णय व आदेश अतिरिक्त जिला कलेक्टर दौसा दिनांक 30.1.2018 सैटअपार्ट आदेश क्रमांक आर–11 जीपी (05)2018/794 बाबत खसरा नम्बर 5242 रकबा 0.26 है0 वाके ग्राम आलूदा खुर्द सिवायचक भूमि को शमशान हेतु करने के बाबत।

उपस्थित–

1. श्री रामावतार प्रज्ञापत, वकील अपीलान्ट
2. श्री चन्द्रशेखर बेनीवाल, राजकीय अधिवक्ता, रेस्पो.नं. 1 व 2

निर्णय

दिनांक –29.03.2023

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा के निर्णय दिनांक 30.01.2018 के खिलाफ प्रार्थना पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम के साथ दिनांक 02.02.2022 को प्रस्तुत हुई है।
2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार हैं कि जिला कलक्टर दौसा ने ग्राम पंचायत आलूदा प.स. लवाण की मांग एवं अनापत्ति तथा तहसीलदार (भूमिधारी) नांगलराजावतान व उपखण्ड अधिकारी नांगलराजावतान की सिफारिश एवं अभिशंषा के आधार पर ग्राम आलूदा खुर्द तहसील नांगलराजावतान स्थित राजकीय सिवायचक भूमि खसरा नम्बर 5242 रकबा 0.26 है0 भूमि राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 92 के अन्तर्गत सार्वजनिक शमशान हेतु आरक्षित/सैट अपार्ट किया जाकर गै0मु0 शमशान दर्ज किये जाने के आदेश एतद् द्वारा प्रसारित किये जाने के आदेश दिये गये।
3. अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा के निर्णय दिनांक 30.01.2018 के उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलान्ट आम जनता ग्राम आलूदा खुर्द तहसील नांगल राजावतान जिला दौसा राज0 जरिए प्रभातीलाल पुत्र मंगलराम वगैरह द्वारा यह अपील मंजूर कर अपीलाधीन आदेश जिला कलक्टर दौसा के निर्णय दिनांक 30.01.2018 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गई है।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर

Scanned by CamScanner

4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई। अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया। उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

5. अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि ग्राम आलूदा खुर्द तह0 नांगल राजावतान जिला दौसा में आराजी खसरा नम्बर 5242 रकबा 0.26 है0 5243 रकबा 0.29 है0 कुल रकबा 0.55 है0 भूमि सिवायचक स्थित है। ग्राम पंचायत द्वारा प्रस्ताव संख्या 13 दिनांक 10.08.2016 को उक्त भूमि शमशान हेतु सेटअपार्ट करने का तहसीलदार जी नांगल राजावतान को भेजा गया। इसके पश्चात सरपंच ग्राम पंचायत व सचिव ने प्रार्थीगण से राजनैतिक द्वेषता रखते हुये पुनः उक्त खसरा नम्बर 5243 में उनके मिलने वाले लोगो को बचाने की गरज से पुनः प्रस्ताव संख्या 24 लिया गया जिसमे केवल मात्र खसरा नम्बर 5242 को सेटअपार्ट करने हेतु पुनः प्रस्ताव भेजा गया इससे स्पष्ट जाहिर है कि सरपंच द्वारा खसरा नम्बर 5242 के अतिक्रमियों को बचाने हेतु मिलीभगत कर खसरा नम्बर 5242 को ही शमशान घाट हेतु आंवटन करने का प्रस्ताव लिया गया जिस पर बिना आम जनता को कोई सुनवाई का मौका देकर पटवारी हल्का व तहसीलदार व एस.डी.ओ. नांगल राजावतान ने मनमाने तरीके से बिना मौके पर गये बिना ही मौका रिपोर्ट भेज दी उसके आधार पर अतिरिक्त जिला कलेक्टर दौसा ने दिनांक 30.01.2018 को अवैधानिक रूप से सिवायचक भूमि खसरा नम्बर 5242 को सेटअपार्ट शमशान हेतु आंवटित करने के अवैध आदेश पारित कर दिये जबकि खसरा नम्बर 5242 में अपीलांट के प्रारम्भ से ही मकान बने हुए है तथा आम जनता व आम कृषकों को आने जाने के लिए उक्त भूमि रास्ते के रूप में कदीमी से चली आ रही है आज दिन भी आम रास्ता उपयोग उपभोग हेतु चला आ रहा है। रास्ता आज भी मौजूद है। ग्राम पंचायत ने अपने चहेते लोगों को फायदा पहुंचाना चाहते है। तथाकथित प्रस्ताव ग्राम सभा की मिटिंग में लिया ही नहीं गया ना ही ग्राम पंचायत के कोरम द्वारा प्रस्ताव लिया गया ना ही जारी किया गया तथाकथित प्रस्ताव पर केवल सरपंच व सचिव के हस्ताक्षर हैं। अतिरिक्त जिला कलेक्टर दौसा के पत्र दिनांक 20.01.2017 में बिन्दु नम्बर 4 के संबंध में न तो नांगल राजावतान तहसीलदार ने कोई विस्तृत रिपोर्ट ही नहीं ली गई जबकि ग्राम आलूदा खुर्द के पश्चिम में काफी शमशान भूमि है। इस संबंध में कोई जांच नहीं ली गई जबकि ग्राम आलूदा खुर्द के पश्चिम में काफी शमशान भूमि है। इस संबंध में कोई जांच नहीं की गई परन्तु अधिनस्थ अतिरिक्त जिला कलेक्टर दौसा ने इसके बावजूद भी मनमाने तरीके से सेटअपार्ट के आदेश पारित किये गये जो विधि विरूद्ध है। सैटअपार्ट आदेश करने से पूर्व ग्राम वासियों को कोई सुनवाई का मौका नहीं दिया जबकि प्राकृतिक न्याय का सिद्धान्त है कि कोई भी आदेश सार्वजनिक उपयोग हेतु सेटअपार्ट करने से पूर्व ग्राम वासियों को सुनवाई का अवसर देकर ही आदेश पारित करना चाहिए किन्तु इन सब तथ्यों की अनदेखी करते हुए अवैधानिक आदेश पारित फरमाया है जो कानूनन निरस्तनीय है। उक्त आदेश की अपीलान्ट को पूर्व में कोई जानकारी नहीं थी। सर्वप्रथम दिनांक 18.1.2022 को शमशान घाट हेतु मौके पर कार्यवाही की गई तब प्राथीगण ने पटवारी हल्का से जानकारी की तब जानकारी हुई जिस पर तलाश कर नकल हेतु दिनांक 24.01.2022 को आवेदन पेश किया जिसकी नकल दिनांक 24.01.2022 को प्राप्त होने पर उक्त निर्णय व आदेश की सर्वप्रथम जानकारी हुई इसलिए उक्त आदेश के विरूद्ध इल्म से अन्दर मियाद अपील प्रस्तुत की जा रही है। इसलिये अपील पेश करने में हुई देरी को क्षमा कर अपील अंदर मियाद शुमार फरमाने की कृपा करें। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाकर अधिनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा का निर्णय दिनांक 30.01.2018 को निरस्त किया जावे।

6. राजकीय अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि ग्राम पंचायत आलूदा पं0स0 लवाण की मॉग एवं अनापत्ति के आधार पर तहसीलदार नांगलराजावतान ने अपने पत्र क्रमांक :2016 दिनांक 27.12.2017 एवं उपखण्ड नांगल राजावतान ने अपने पत्र क्रमांकः राजस्व/आंवटन/2018/91 दिनांक 12.1.2018 के द्वारा ग्राम आलूदा खुर्द तहसील

राजस्व अपील अधिकारी जयपुर

Scanned by CamScanner

नांगलराजावतान स्थित राजकीय सिवायचक भूमि खसरा नम्बर 5242 रकबा 0.26 है0 भूमि सार्वजनिक शमशान हेतु आरक्षित/सैट अपार्ट करने का प्रस्ताव प्रेषित किया है। प्रस्तावित भूमि को उक्त प्रयोजनार्थ आंवटन करने के संबंध में ग्राम पंचायत आलूदा पं.स. लवाण द्वारा सर्वसम्मत प्रस्ताव संख्या 8 दिनांक 2.10.2017 पारित कर अनापत्ति प्रदान की है। ग्राम पंचायत आलूदा पं0रा0लवाण की मांग एवं अनापत्ति तथा तहसीलदार (भूमिधारी) नांगलराजावतान व उपखण्ड अधिकारी नांगलराजावतान की सिफारिश एवं अभिशंषा के आधार पर ग्राम आलूदा खुर्द तहसील नांगल राजावतान स्थित राजकीय सिवायचक भूमि खसरा नम्बर 5242 रकबा 0.26 है0 भूमि राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 92 के अन्तर्गत सार्वजनिक शमशान हेतु आरक्षित/सैट अपार्ट किया जाकर गै0 मु0 शमशान दर्ज किये जाने के आदेश अतिरिक्त जिला कलेक्टर दौसा विधिवत प्रक्रिया अपनाते हुये अपीलाधीन आदेश दिनांक 30.01.2018 पारित किया गया है। उनका कहना है कि अपीलाधीन आदेश अधीनस्थ न्यायालय ने पारित किया है, जो उचित एवं विधिसम्यक है। अतः अपील अपीलान्ट में कोई सार नहीं होने से खारिज की जावे।

7. प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया एवं उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया गया। अपीलान्ट को निर्णय की जानकारी उसे नकल दिनांक 24.01.2022 से प्राप्त होने पर बताया गया है। अतः न्यायहित में अपीलांट द्वारा पेश किए गये प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 कानून मियाद अधिनियम स्वीकार किए जाकर अपील पेश करने में हुई देरी को क्षम्य किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा की पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि ग्राम पंचायत आलूदा पं0स0 लवाण की मॉग एवं अनापत्ति के आधार पर तहसीलदार नांगलराजावतान ने अपने पत्र क्रमांक :2016 दिनांक 27.12.2017 एवं उपखण्ड नांगल राजावतान ने अपने पत्र क्रमांकः राजस्व/आंवटन/2018/91 दिनांक 12.1.2018 के द्वारा ग्राम आलूदा खुर्द तहसील नांगलराजावतान स्थित राजकीय सिवायचक भूमि खसरा नम्बर 5242 रकबा 0.26 है0 भूमि सार्वजनिक शमशान हेतु आरक्षित/सैट अपार्ट करने का प्रस्ताव प्रेषित किया है। प्रस्तावित भूमि को उक्त प्रयोजनार्थ आंवटन करने के संबंध में ग्राम पंचायत आलूदा पं.स. लवाण द्वारा सर्वसम्मत प्रस्ताव संख्या 8 दिनांक 2.10.2017 पारित कर अनापत्ति प्रदान की है। ग्राम पंचायत आलूदा पं0स0 लवाण की मांग एवं अनापत्ति तथा तहसीलदार (भूमिधारी) नांगलराजावतान व उपखण्ड अधिकारी नांगलराजावतान की सिफारिश एवं अभिशंषा के आधार पर ग्राम आलूदा खुर्द तहसील नांगल राजावतान स्थित राजकीय सिवायचक भूमि खसरा नम्बर 5242 रकबा 0.26 है0 भूमि राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 92 के अन्तर्गत सार्वजनिक शमशान हेतु आरक्षित/सैट अपार्ट किया जाकर गै0 मु0 शमशान दर्ज किये जाने के आदेश पारित किये गये हैं। अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा द्वारा विधिक प्रक्रिया अपनाते हुये ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 30.01.2018 पारित किया है। जिसमें कोई त्रुटि नही है। जिसके संबंध में किसी प्रकार के एतराज या उज्रात की लोकल स्टेण्डाई अपीलांट को नहीं है। अपीलाधीन आदेश में हम हस्तक्षेप किया जाना उचित नही समझते हैं। ऐसी स्थिति में अपील अपीलांट सारहीन व बलहीन होने से खारिज योग्य प्रतीत होती है।

<u>अतः आदेश हैं कि</u> अपील अपीलकर्ता खारिज की जाती है। अतः अपीलाधीन आदेश अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा दिनांक 30.01.2018 यथावत रखा जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

29/3/2023.

(असलम शेर खान)
अति. सम्भागीय आयुक्त,
जयपुर

Scanned by CamScanner